





## कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी जिलास्तरीय समिति

Vindhya Telilinks Limtets. EPC Division Industrial area Mohali Punjab द्वारा जिला उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत कल्याणी से धरासू बैण्ड नालूपानी से नगुन बैरियर तक 0.582 है० में आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक दिनांक.....को आयोजित की गई जिनमें निम्न अधिकारी गण उपस्थित हुए हैं।

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री आशीष चौहान	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	
2	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	
3	श्री जीतसिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी	
4	कुमारी सिंह बिष्ट	जिला पंचायत सदस्य उत्तरकाशी	

It is certified that the witnesses of meeting are present and the meeting was held on the date mentioned above. Barrier, OFC  
जिला पंचायत/ जिला नियोजन समिति  
वार्ड नं०- 7 डुण्डा, उत्तरकाशी

FORM -1  
(For linear project)

Government of \_\_\_\_\_  
Office of the District Collector Uttarkashi

No. 158/2018


Dated: 21-1-18

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.582 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Telelinks Ltd. EPC Division, Industrial Area, Phase – 8B Mohali, Punjab** for **Laying Optical Fiber Cable Aerial** is Uttarkashi district falls within jurisdiction of **Veerpur** village (s) in **Dunda** Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.582 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure I to Annexure II
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights to Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

  
Signature

ENCL: as above

(full name and office seal of the District Collector)



## Form – II

(For projects other than linear projects)

Government of .....

Office of the District Collector Uttarkashi

No. 158/2018

Date: 21-1-2018


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India Letter No 11-9/98 FC (Pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose, it is certified that **0.582** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Vindhya Telelinks Ltd. EPC Division, Industrial Area, Phase – 8B Mohali, Punjab** with in jurisdiction of **Veerpur** village in **Dunda** Tehsils.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of right under the FRA been carried out for the entire **0.582** Hectares of forest land and proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee (S) Gram Sabha (s) Sub Division Level Committee (s) and the district Level Committee and enclosed as annexure I To annexure II
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA
- The each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having the understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Veerpur** Villages (s) is enclosed as annexure I To annexure II
- The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : as above

  
**जिलाधिकारी**  
 (SIGNATURE)

(Full Name and official Seal of the District Collector)



**कार्यालय – उप जिलाधिकारी, डुण्डाउत्तरकाशी**

**अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, डुण्डा, उत्तरकाशी**

उपखण्ड डुण्डा उत्तरकाशी परिक्षेत्र के उत्तरकाशी वन प्रभाग की धरासू रेंज के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani(Total Length-19.4 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.582 है० तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.582 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील -) की दिनांक 6/2/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री. अ. ल. श्री. वि. डे उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                                       |                           |         |
|----|---------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1. | श्री. <u>श्री. अ. ल. श्री. वि. डे</u> | उप जिलाधिकारी             | अध्यक्ष |
| 2. | श्री. <u>श्री. अ. ल. श्री. वि. डे</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | सदस्य   |
| 3. | श्री. <u>श्री. अ. ल. श्री. वि. डे</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य   |
| 4. | श्री. <u>श्री. अ. ल. श्री. वि. डे</u> | वी०डी०सी० क्षेत्र         | सदस्य   |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के धरासू रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani (Total Length-19.4 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.582 है० तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.582 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)** के द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (धरासू) उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डुण्डा परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरकाशी वन प्रभाग के धरासू रेंज अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड डुण्डा में **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) from Nagun to Dharasu and Kalyani to Nalapani (Total Length-19.4 KM)** तक को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील..... / जनपद.....  
प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति



वन अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- वीरपुर

तहसील- डुण्डा

जिला- उत्तरकाशी

परियोजना का नाम- 4G Line

RoW permission for laying Optical Fibre Cable Aerial (approx. 35 poles per km.)

From - जगुन बैरियट - नालुपानी, धरालु केड - कछमासी गाँव

Total length- km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आपेक्षित है0


वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) को भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत वीरपुर द्वारा दिनांक 23/11/2017 को सपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आभेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2005 के प्राविधानों के तहत आभेदित वनभूमि के आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आभेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों का परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.582 है0 (वन स्वरूप) बंजर भूमि का (संरक्षण) 1980 के तहत गैरवानिकी कार्य हेतु VINDHYA TELELINKS LIMITED, EPC DIVISION, INDUSTRIAL AREA, PHASE-8B MOHALI (PUNJAB) के पक्ष में ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

है0

है0

  
ग्राम पंचायत- वीरपुर (डुण्डा)  
जिला- उत्तरकाशी  
मोहर सहित।

  
प्रयोक्ता एजेन्सी

  
ग्राम प्रधान  
मोहर सहित  
विन्ध्य डुण्डा (उत्तरकाशी)

दिनांक 23/11/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा — बंगलों की काण्डी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थिति वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अरविंद सिंह	Arvind
2	सीता देवी	सीता देवी
3	मुकेश सिंह	मुकेश सिंह
4	राकेश बिष्ट	R. Bisht
5	चंद भण्डारी	CHAND
6	सावित्री देवी	सावित्री देवी
7	केलेश सिंह भण्डारी	केलेश
8	अनीष शर्मा	M. Sharma
9	रीता बाहुगुणा	रीता बाहुगुणा
10	सतीश उपाध्याय	सतीश
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		